वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी) की गतिविधियों और उपलब्धियों पर सरकार की समीक्षा

ए. लेखा और स्थापना का सारांश

एन.सी.सी.डी को दिनांक 27-01-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और इसे सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी) मोड में संचालित करने के लिए गठित किया गया था। कैबिनट द्वारा दिनांक 09-2-2012 को अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद, डी.ए.सी एवं एफ.डब्ल्यु ने इतनी ही धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने के लिए रु.25 करोड़ का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया, ताकि वहां से ब्याज के रूप में मिलने वाली आय, और एन.सी.सी.डी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क और फीस तथा अन्य आय का उपयोग इसके प्रशासनिक, कार्मिकों और अन्य लागतों को पूरा करने में किया जाएगा, जैसा कि शासी(गवर्निंग)परिषद् द्वारा तय किया गया है। एन.सी.सी.डी का गठन इस तरह से किया गया है कि सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव की वजह से कोई लागत नहीं आती है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से पैनल किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए खातों की लेखापरीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आय एवं व्यय लेखा का सार निम्नलिखित है :

मद	रु. लाख में
ब्याज के रूप में आय	225.38
घटाएं : प्रशासनिक खर्चे	94.19
व्यय से अधिक आय	131.19
धारा 11 के तहत सकल आय के 15% की छूट	33.81
अगले 5 वर्ष में "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता" के प्रयोजनों के लिए अलग शेष राशि(बैलेंस)-सेट अपार्ट	97.38
कुल	131.19

एन.सी.सी.डी को जुलाई, 2015 में आयकर अधिनियम की धारा 12 एए के तहत "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता" के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह इसे प्रत्येक वर्ष अपनी सकल आय के 15% के लिए आयकर से छूट प्रदान करता है। सकल आय में से शेष 85% अव्ययित धनराशि पर कर लग सकता है, जब तक कि अधिनियम की धारा 11(2) के तहत 5 वर्ष के भीतर भविष्य के खर्चों के लिए अलग(set apart) नहीं किया जाता है। अभी वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कोई आयकर देयता नहीं है। एन.सी.सी.डी को दिनांक 01-04-2016 से कोल्ड - चेन ज्ञान प्रसार के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर सेवाकर से भी छूट दी गई है।

श्री दिनेश कुमार, जे.एस(एमआईडीएच) दिनांक 10-10-2017 से दिनांक 18-04-2018 तक निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। श्री पी.के. स्वाईं, जे.एस(विपणन) ने दिनांक 19-04-2018 से निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाला। कोल्ड-चेन उद्योग के एक विशेषज्ञ श्री पवनेष कोहली ने फरवरी, 2014 से एन.सी.सी.डी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करना जारी रखा।

एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति(ई.सी) ने प्रारंभ में 13 कर्मचारियों की मंजूरी दी, जिसके प्रति दिनांक 31-3-2019 को 6 व्यक्ति पदस्थ थे। एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति में सचिव(ए.सी एंड एफ.डब्ल्यु) की अध्यक्षता में 13 सदस्य होते हैं। शासी(गवर्निंग) परिषद् में अध्यक्ष के रूप में सचिव(ए.सी एंड एफ.डब्ल्यु) के तहत 16 सदस्य होते हैं।

बी. गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा

- एमओईएफसीसी ने किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन के अनुरूप इंडियन नेशनल कूलिंग प्लान(एन.सी.ए.पी) जारी किया है। एन.सी.सी.डी प्रमुख विशेषज्ञ संसाधन था और कोल्ड-चेन घटकों को अधिकृत किया जो पूरी तरह से अपनाए गए थे। एन.सी.सी.डी ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में कोल्ड-चेन के सकारात्मक प्रभाव को बनाए रखा, बजाय इसके इसे जीएचजी में योगदानकर्ता माना जा रहा है।

- आई.एस.ए ने अपने सदस्य देशों में कोल्ड-चेन कृषि जरूरतों को संबोधित करने के लिए एन.सी.सी.डी के साथ एकमात्र ज्ञान भागीदार के रूप सौर शीतलन(कूलिंग) पहल शुरू की। इस पहल में एन.सी.सी.डी द्वारा प्रचारित कम्यूनिटी कूलिंग हब की अवधारणा शामिल है।

- एन.सी.डी.सी जिसने एक कोल्ड-चेन प्रभाग भी स्थापित किया है, इसके साथ एन.सी.सी.डी ने परस्पर संवाद रखा है। एन.सी.सी.डी ने कोल्ड-चेन में एन.सी.सी.डी के अधिकारियों और लक्षमणराव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट(एल.आई.एन.ए.सी) में प्रशिक्षुओं की क्षमता का निर्माण किया है।

- हरियाणा सरकार ने आधुनिकता के एक उत्कृष्ट केंद्र को विकसित करने हेतु एन.सी.सी.डी का इनपुट लिया, जो प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और फलों और सब्जियों की कटाई के बाद(पोस्ट-हार्वेस्ट) के संचालन में श्रेणी प्रैक्टिसों को उजागर करेगा।

- एन.सी.सी.डी को वर्ष 2018 में लॉजिस्टिक्स कौशल परिषद् के शासी(गवर्निंग) निकाय के सदस्य के रूप में लिया गया। कोल्ड-चेन जनशक्ति हेतु कौशल मॉड्यूल विकसित करने संबंधी विभिन्न बैठकें आयोजित की गई।

- एन.सी.सी.डी सितंबर, 2018 में डी.एफ.आई(डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम) रिपोर्ट तैयार करने और जारी करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा।

- एन.सी.सी.डी ने देश में कोल्ड-चेन में दो सबसे प्रशंसित उत्कृष्टता पुरस्कारों का समर्थन करना जारी रखा है। एन.सी.सी.डी-सी.आई.आई अवार्ड्स का तीसरा संस्करण 23 सितंबर, 2018 को और नौवां आई.सी.आई अवार्ड्स समारोह 16 नवंबर, 2018 को आयोजित किया गया था।

- एन.सी.सी.डी विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार में लगा हुआ है। इस अवधि में, एन.सी.सी.डी ने लोकसभा अध्यक्ष के अनुसंधान पहल पर संसद सदस्यों को एल.बी.एस.एन.ए.ए और एन.डी.सी में प्रशिक्षुओं को चार व्याख्यान दिए हैं।

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली